निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1934 (श0)

(सं0 पटना 149) पटना, सोमवार, 18 फरवरी 2013

सं0 पर्य0 / यो0(रा0)–16 / 12—269

पर्यटन विभाग

———————

संकल्प

4 फरवरी 2013

विषयः—विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15.05.2012 द्वारा निर्गत राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित गैर नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा संचालित मार्गीय सुविधाओं यथा ढाबों / लाईन होटलों / मोटलों आदि के उन्नयन एवं मानकीकरण हेतु प्रोत्साहन नीति – 2012 में आंशिक संशोधन।

पर्यटन विभाग, बिहार द्वारा वर्ष 2012 में राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित गैर नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा संचालित मार्गीय सुविधाओं यथा ढाबों / लाईन होटलों / मोटलों आदि के उन्नयन एवं मानकीकरण हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15.05.2012 द्वारा निर्गत प्रोत्साहन नीति – 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित कण्डिकाओं को कण्डिका– (ड़) में जोड़ा जाता हैः–

(xi) (1) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण विभाग द्वारा अनुशंसित वास्तुविद् से कराया जायेगा।

(2) इस योजना की स्वीकृति विभाग द्वारा की जायेगी तथा इसका कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से कराया जायेगा।

(3) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को अनुदान के मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से संबंधित उन्नयन के लिये स्वीकृत होटल / मोटल / ढाबा के मालिकों को 5 किस्तों में भुगतान किया जायेगा।

(4) विभागीय वास्तुविद् संबंधित होटल / मोटल / ढाबा के मालिक से सम्पर्क कर उनके अनुसार डिजाईन बनायेंगे।

(5) प्राक्कलित राशि के आधार पर एक चौथाई निर्माण कार्य होने के बाद प्रथम 1,00,000 (एक लाख रूपये) या 20 प्रतिशत देय अनुदान जो भी अधिक हो, के अग्रिम संबंधित होटल / ढाबा मालिकों को चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उनके खाता में भुगतान किया जायेगा।

(6) प्रथम अग्रिम देने के पूर्व विभागीय पदाधिकारी के टीम के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी।

(7) भवन का निर्माण वास्तुविद् के द्वारा दिये गये डिजाईन के अनुसार दूसरा 1,00,000 (एक लाख रूपये) या 20 प्रतिशत देय अनुदान जो भी अधिक हो, का किस्त योजना पूर्ण होने के बाद रीति उपर्युक्त नीति के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) तीसरा, चौथा एवं पाँचवा किस्त अगले तीन वर्ष पूरे होने, चार वर्ष पूरा होने एवं पाँच वर्ष पूरा होने के बाद किया जायेगा।

(9) होटल/मोटल/ढाबा का नाम मालिक चाहे तो अपने नाम, पत्नी के नाम, पुत्र के नाम करने के लिये भी स्वतन्त्र होंगे।

(10) होटल/मोटल/ढाबा के लिये जो साईनेज तैयार किया जायेगा, उसमें पर्यटन विभाग के लोगो के साथ पर्यटन विभाग से वित्तीय अनुदान प्राप्त भी अंकित किया जायेगा।

(11) संकल्प की कंडिका– (ix) के आलोक में विभाग द्वारा गठित समिति के निरीक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों के अनुरूप वैसे सभी मालिकों को काम करना होगा अन्यथा उनका देय अनुदान बन्द कर दिया जायेगा।

(12) संकल्प की कंडिका– (x) के आलोक में तय मानक के आधार पर 10 वर्षों तक होटल/ढाबा को चलाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले लाभार्थियों से कैपिटल सब्सिडी की वसूली भी जा सकेगी।

(xii) उपरोक्त कण्डिकाओं में जो भी शर्त दिये गये हैं उसी शर्त के आलोक में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संबंधित होटलों/मोटलों/ढाबों के मालिकों से एक एग्रिमेन्ट कराने के बाद ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी।

2. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15.05.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के विशेष अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 149-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in